सं०--यू०ओ०-136/चौवालिस-1/1988

प्रेषक,

श्री जे०ए० कल्याण कृष्णन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों,
के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकगण।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 8 सितम्बर, 1988

विषयः– किसी फर्म के संयंत्र को क्रय करने से पूर्व उसका विदेश में परीक्षण किये जाने के लिए फर्म के व्यय पर विदेशी यात्रा पर रोक लगाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के समक्ष कुछ ऐसे प्रस्ताव आये हैं जिनमें कतिपय निगमों द्वारा किसी फर्म के संयंत्र को क्रय किये जाने से पूर्व उसकी विदेश में परीक्षण किये जाने के लिए फर्म के व्यय पर ही अपने अधिकारियों को विदेश यात्रा पर भेजे जाने के सम्बन्ध में शासन की अनुमति मांगी गई है।

2- आप सहमत होंगे कि किस फर्म के संयंत्र का विदेश में परीक्षण करने के लिए उसी फर्म के व्यय पर विदेश जाना एक स्वस्थ प्रणाली नहीं हैं। अतः मुझे आपसे यह करने का निदेश हुआ है कि भविष्य में किसी भी कम्पनी से इस प्रकार का अनुबन्ध न किया जाय जिसमें किसी कम्पनी के संयंत्र को क्रय करने से पूर्व उसके निरीक्षण/परीक्षण आदि हेतु कम्पनी के व्यय पर ही सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों को विदेश भेजे जाने की आवश्यकता हो।

भवदीय,
(जे० ए० कल्याण कृष्णन)
मुख्य सचिव।

सं०यू०ओ०-136 (1)/चौवालिस-1/1988, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) शासन के समस्त सचिव एवं विशेष सचिव
(2) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के समस्त प्रशासकीय अनुभाग
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
(आर० रमणी)
सचिव।